पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Amanaka, Raipur (Chhattisgarh), E-mail-raipurgen@yahoo.com. Phone-0771-2262825

क्रमाक/1288/गोप./2021 रायपुर, दिनांक 12/07/2021

//अधिसूचना//

ऑफलाईन प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन हेतु दिशा–निर्देशा

सेमेस्टर एवं वार्षिक की प्रायोगिक परीक्षा 2020–21 ऑफलाईन आयोजन हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, बलौदाबाजार एवं गरियाबंद से कोविड 19 वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु निर्देशानुसार अनुमति प्राप्त है। निर्देशों के अधीन महाविद्यालयों को प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराये जाने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रदान किया जाता है –

1. प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 15.07.2021 से 25.07.2021 के मध्य कराया जाना है। संबंधित महाविद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा प्रत्येक दिवस (अवकाश में भी) सभी विषयों में तीन–तीन पाली सुबह, दोपहर एवं शाम में कराया जाना है। पालियों का निर्धारण महाविद्यालयों के प्राचार्य आवश्यकतानुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। प्रति पाली अधिकतम 30 परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषयवार सम्मिलित कर सकते हैं।
2. वार्षिक परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षा हेतु नियमित परीक्षार्थी संबंधित महाविद्यालय में सम्मिलित होंगे तथा भूतपूर्व, अमहाविद्यालयीन एवं पूरक परीक्षार्थी जिस केन्द्र में पंजीयन कराये हैं उसी केन्द्र में सम्मिलित होंगे।
3. प्रायोगिक परीक्षा हेतु महविद्यालयों के संबंधित विषय के एक ही विशेषज्ञ/प्राध्यापक आंतरिक एवं वाहय परीक्षक दोनों कार्य संपादित करेंगे। महाविद्यालय में संबंधित विषय विशेषज्ञ/प्राघ्यापक नहीं होने पर नजदीकी महाविद्यालय से आमंत्रित कर सकते हैं। यदि नजदीकी महाविद्यालय में विषय विशेषज्ञ/प्राध्यापक उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय से परीक्षक नियुक्ति हेतु नाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराने हेतु संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को अधिकृत किया जाता है।
4. प्रायोगिक परीक्षा संपन्न होते ही उसी दिन ऑनलाइन पोर्टल पर प्रायोगिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। प्रायोगिक कार्य के लिए विश्वविद्यालय के नियमानुसार मानदेय की पात्रता होगी।

अतः विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों को कोविड –19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए महाविद्यालयों में प्रति–दिन/प्रति पाली/प्रति विषय अधिकतम 30 पारीक्षार्थियों की उपस्थिति के साथ ऑफलाईन प्रायोगिक परीक्षा आयोजन की अनुमति संबंधित जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी के पत्रों के आधार पर (संलग्न पत्र) निम्न शर्तो के अधीन दी गई है –

1. छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–59/गृह–सी/2020 दिनांक 18 जून 2021 के द्वारा जिला में दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गई है तथा संबंधित जिला कार्यालय द्वारा जिले में प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं। उक्त आदेश में दिये गये समस्त निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा ।

2. परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा केन्द्र में प्रति पाली अधिकतम 30 परीक्षार्थियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी ।
3. संस्थान में प्रवेश एवं निकासी द्वारा पृथक–पृथक हों, यह सुनिश्चित किया जावे एवं प्रवेश एवं निकासी द्वार टच फ्री मोड में हो। परीक्षा समाप्ति पश्चात केन्द्र छात्र का परीक्षा केन्द्र छोड़ना सुनिश्चित करेंगे।
4. परीक्षा में शामिल होने समस्त परीक्षार्थियों को सोशल शिष्टाचार का कड़ाई से पालन करना होगा। संस्थान में उपस्थित व्यक्ति खाँसते, छींकते समय टीसू पेपर/रूमाल/ मुड़ी हुई कोहनी का अनिवार्यतः उपयोग करेंगे। संस्थान के संचालक/प्राचार्य सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग लाये गये सामग्री का ठीक से निपटारा किया जावे ।
5. परीक्षा संचालित होने वाले संस्थान को परीक्षा दिवस के पूर्व सेनेटाईजेशन कराना अनिवार्य होगा ।
6. संस्थान में उपस्थित समस्त व्यक्ति/परीक्षार्थियों को सोशल/फिजिकल डिस्टेशिंग, मास्क का अनिवार्यतः उपयोग एवं समय–समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना होगा।
7. संस्थान में एक परीक्षार्थी से दूसरे परीक्षार्थी के कुर्सी के मध्य कम से कम छः फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा ।
8. परीक्षा केन्द्र में सेनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जावेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावे।
9. संस्था में एक उपस्थिति रजिस्टर संधारित किया जावेगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्ति/परीक्षार्थी का नाम व मोबाईल नम्बर दर्ज किया जावेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांट्रेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
10. इन सभी शर्तों के अतिरिक्त कोविड 19 के संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेश/निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा।
11. उपरोक्त दिये गये सभी निर्देशों का उल्लंधन अथवा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी।

आदेशानुसार

12.7.21

कुलसचिव

C:\USERS\USER\DESKTOP\ALL FOLDER 2020\LETTER.DOCX160

पृ. क्रमांक/1289/गोप./2021 रायपुर, दिनांक 12/07/2021

प्रतिलिपि –

1. राज्यपाल के सचिव, छ.ग. शासन, रायपुर।
2. सचिव, उच्चशिक्षा, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च्य शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
4. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार एवं गरियाबंद को सूचनार्थ।
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहा., पं. रवि. शु. वि., रायपुर।
6. विश्वविद्यालय के समस्त संबद्ध महा. के प्राचार्यों को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षा के सम्पादनार्थ अपने अधिनस्थ विभागाध्यक्षों को इसकी सूचना अनिवार्य रूप से देवें।
7. अध्यक्ष, पं. रवि. शु. वि., अध्ययनशाला।
8. उपकुलसचिव (परीक्षा) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
9. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
10. सम्पादक, समस्त, स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों को अग्रेषित इस आशय के साथ कि इस अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करेंगे।
11. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वि.क. अधि./सहा.कुलसचिव (गोप.)